संख्याः–05/2016/432/उन्नीस–2–2016–22/2015

प्रेषक,

नवनीत सहगल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0,
लखनऊ।

सूचना अनुभाग–2

लखनऊ : दिनांकः 27 जून, 2016

विषयः– उ0प्र0 वेब मीडिया नीति–2016।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–93/सू0एवंज0स0वि0(कम्प्यू0)/2015, दिनांक 16.03.2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 सरकार की उपलब्धियों, सूचनाओं एवं जानकारियों को जन–जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से, उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृत विज्ञापन मान्यता एवं वितरण सम्बन्धी प्रकिया के अनुसार वेबसाईट/पोटर्लो अर्थात वेब मीडिया को भी विज्ञापन निर्गमन हेतु, **वेबमीडिया नीति–2016**, जिसे उ0प्र0 शासन के समस्त विभागों तथा उपक्रमों द्वारा अंगीकार किया जाएगा और उन सभी न्यूज–व्यूज, वेबसाईटों तथा पोर्टलों पर लागू होगा, जो उत्तर प्रदेश शासन से सूचीबद्धता/विज्ञापन हेतु आवेदन करेंगे, को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1- विज्ञापन मान्यता हेतु वेब मीडिया/पोर्टल कम से कम 03 वर्ष से अस्तित्व में होना अनिवार्य होगा।

1.1 ऐसे वेबसाइट्स/पोर्टल जिनके दर का निर्धारण भारत सरकार के डी0ए0वी0पी0 द्वारा किया गया हो, उन्हे विभाग द्वारा सूचीबद्ध माना जायेगा।

1.2 जिन वेब साइट्स और पोर्टल द्वारा विज्ञापन मान्यता के लिए आवेदन किया जाएगा उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय में कराना अनिवार्य होगा तथा उन्हें अपने दैनिक/सावधिक वेबकास्ट तथा वेब कंटेंट प्रकाशन की नियमित स्वसत्यापित जानकारी सीडी और हार्ड कापी के रूप में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को तत्काल उपलब्ध करानी होगी। यह जानकारी उपलब्ध न कराने पर विज्ञापन मान्यता/सूचीबद्धता समाप्त कर दी जायेगी।

1.3 समाचार पत्र/पत्रिकाओं की भांति वेब साइटों तथा पोर्टलों को मान्यता एवं विज्ञापन प्रदान करने के बारे में निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग का निर्णय अंतिम होगा। इससे सम्बंधित किसी विवाद के लिये वाद क्षेत्र केवल लखनऊ ही होगा।

2– विज्ञापन वितरण प्रक्रिया–

2.1 वेब पोर्टलों/वेबसाइटों/वेब एजेंसियों की श्रेणी में विज्ञापन, मात्र विभाग में सूचीबद्ध वेब पोर्टलों/वेबसाइटों को ही उपलब्ध कराये जायेंगे।

2.2 विज्ञापन उन वेबसाइट/पोर्टल को दिया जायेगा, जिनकी प्रति माह हिट्स की संख्या न्यूनतम 2.5 लाख हिट्स होगी।

2.3 हिट्स की गणना हेतु छः महीने का औसत आधार लिया जायेगा। गणना हेतु सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य थर्ड पार्टी, जो भारत में वेबसाइट ट्रैफिक मॉनीटर करती हो, को स्वीकार करेगा।

2.4 अंग्रेजी वेब मीडिया को भी हिन्दी वेब मीडिया की भाँति विज्ञापन जारी किया जा सकेगा।

2.5 वेब मीडिया के विज्ञापन के आवेदन पत्र में उसके पंजीकरण का विवरण अंकित करते हुये उसके साथ लागू पंजीकरण प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।

2.6 अनैतिक एवं समाज विरोधी अपराधों के लिये सक्षम न्यायालय द्वारा दण्डित व्यक्तियों द्वारा प्रकाशित/मुद्रित एवं सम्पादित वेब मीडिया को शासकीय विज्ञापन प्रदान नहीं किये जायेंगे।

2.7 विज्ञापन निर्गत किये जाने हेतु संबंधित वेब माध्यम को सभी प्रमुख ब्राउजर्स (मोबाइल ब्राउजर्स सहित) से कम्पेटिबिल होना अनिवार्य होगा।

2.8 विज्ञापन वितरण के उद्देश्य से वेब माध्यमों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा :

श्रेणी	यूनिक यूजर प्रतिमाह (भारत में पिछले छः महीनों के औसत के आधार पर)
समूह–क	50 लाख से अधिक (राष्ट्रीय वेब मीडिया)
समूह–ख	20 लाख से 50 लाख (क्षेत्रीय मीडिया)
समूह–ग	2.5 लाख से 20 लाख (स्थानीय मीडिया)

2.9 यूनिक यूजर की गणना के समय एक ही कम्पनी की अलग–अलग वेबसाइटों की बंचिंग/जोड़ को अनुमति नहीं होगी।

2.10 सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के विज्ञापन प्रथम स्क्राल में मुखपृष्ठ (होमपेज) पर होना आवश्यक होगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रदर्शन हो सके। द्वितीय स्क्राल/मुखपृष्ठ (होमपेज) के नीचे प्रदर्शित विज्ञापनों को विज्ञापन हेतु कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

2.11 टेण्डर की माप निर्धारित करने के लिये वेब माध्यमों के प्रिंटर पर निकाले जा सकने योग्य ए–4 साइज के एक रंगीन पृष्ठ को जिसमें हिन्दी में 10 तथा अंग्रेजी में 8 प्वाइंट का फॉण्ट इस्तेमाल किया गया हो, एक पेज माना जायेगा और टेण्डर में शब्दों की संख्या गिनकर उसका 0.10 से गुणा करके माप निकाली जायेगी। यह गणना सभी भाषाओं के लिए समान रहेगी।

2.12 वेब मीडिया में विज्ञापन अधिकतम एक वेब पृष्ठ प्रति वेबसाइट का ही दिया जायेगा।

2.13 वेब मीडिया विज्ञापनों का भुगतान विभाग द्वारा जारी किये गये मूल कार्यादेश (आर.ओ.) के आधार पर ही किया जायेगा। मूल कार्यादेश खो जाने की स्थिति

में शुल्क रु0 100.00 विभागीय कोषागार में जमा करने के उपरान्त ही कार्यादेश की दूसरी प्रति विभाग द्वारा जारी की जायेगी।

2.14 **विज्ञापन दरों का निर्धारणः** वेब मीडिया को सम्यक विचारोपरांत नियमानुसार दरें प्रदान की जायेंगी। जिन वेब मीडिया की विज्ञापन दर, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) द्वारा निर्धारित है, उन्हें विभाग द्वारा भी वही दर दी जायेगी किन्तु जिन वेब माध्यमों की डी0ए0वी0पी0 दर निर्धारत नहीं है उन्हें इस वेब नीति के संगत प्राविधानों के अनुसार विभागीय दर से भुगतान किया जायेगा। जो उन पर लागू न्यूनतम दर तथा उनकी सशुल्क ग्राहकी/हिट्स के आधार पर निर्धारित श्रेणी के आधार पर देय होगी।

2.15 **विज्ञापन की दरें निम्नवत् होगीं:–**

पैनल में सम्मिलित वेबसाइटों हेतु प्रस्तावित दरें ("X" प्रदर्शित करता है कि कुछ बैनर आकारों हेतु दरों का निर्धारण नहीं किया गया है।)			
समूह क			
क0सं0	बैनर का आकार	–	सी0पी0टी0आई0* आधार पर दर(रू0 में)
1.	728x90	उर्ध्व भाग	90
		अधो भाग	X
		पार्श्व भाग	X
2.	300x250	उर्ध्व भाग	X
		अधो भाग	X
		पार्श्व भाग	120
समूह ख			
क0सं0	बैनर का आकार	–	सी0पी0टी0आई0 आधार पर दर(रू0 में)
1.	728x90	उर्ध्व भाग	110

		अधो भाग	30
		पार्श्व भाग	X
2.	468x60	उर्ध्व भाग	35
		अधो भाग	X
		पार्श्व भाग	X
3.	300x250	अधो भाग	35
		पार्श्व भाग	X
		उर्ध्व भाग	44
समूह ग			
क0सं0	बैनर का आकार	–	सी0पी0टी0आई0 आधार पर दर(रू0 में)
1.	728x90	उर्ध्व भाग	23
		अधो भाग	15
		पार्श्व भाग	23
2.	468x60	उर्ध्व भाग	11.5
		अधो भाग	9.2
		पार्श्व भाग	11.5
3.	300x250	अधो भाग	23
		पार्श्व भाग	23
		उर्ध्व भाग	23
4.	234x60	अधो भाग	9.2
		पार्श्व भाग	X
		उर्ध्व भाग	X

(सी0पी0टी0आई0* का अर्थ है मूल्य प्रति हजार इम्प्रेशन)

2.16 वेब माध्यमों को जिस विभाग का विज्ञापन प्रकाशित होगा उस विभाग को उक्त डिजिटल विज्ञापन की एक साफ्ट कापी डी.वी.डी. या सी.डी. के रुप में तथा पांच हार्ड कापी इस प्रकार भेजना अनिवार्य होगा कि प्रत्येक पृष्ठ पर प्रकाशित विज्ञापन का सक्रिय एवं उपलब्ध वेब एड्रेस भी साफ साफ मुद्रित

दिखे। विभाग को भेजे गये उक्त पत्र की रसीद बीजक के साथ प्रस्तुत करने पर ही भुगतान किया जायेगा।

2.17 संस्था को भुगतान निम्नलिखित तथ्यों की पुष्टि के उपरान्त ही किया जायेगा।

2.18(क) प्रकाशित वेब विज्ञापन कंटेंट सुव्यवस्थित तथा हाई–डेफिनेशन डिजिटल गुणवत्ता सहित होगी।

2.18(ख) वेब माध्यम के कान्टेक्ट/अबाउट अस विवरण में स्वत्वाधिकारी, वेब मास्टर, मोडरेटर, एडिटर, का नाम, संपर्क तथा स्थानीय पता आदि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

2.18(ग) पोर्टल/साईट पर वेब सम्पादक का उल्लेख अलग से होना चाहिए, जो प्रकाशित सामग्री के चयन के लिए पी0आर0बी0 एक्ट के अधीन जिम्मेदार होंगे।

2.18(घ) वेब विज्ञापन जिस दिवस के लिए निर्गत किया गया है, उसी दिवस अपलोड किये जाने का प्रमाण संस्थान द्वारा साफ्ट तथा हार्ड कापी के रुप में सूचना निदेशक को उसी कार्य दिवस में स्वयं संस्थान द्वारा अपने व्यय पर उपलब्ध कराया जाएगा।

2.19 वेब विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 3 माह के अन्दर संस्था द्वारा भुगतान हेतु बीजक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2.20 वेब विज्ञापनों का भुगतान भी विभागीय बजट में धन की उपलब्धता के आधार पर प्रथम आगत के अनुक्रमानुसार किया जायेगा।

2.21 विज्ञापन हेतु गैर सरकारी वेबसाइट/पोर्टल मान्य होगी। सरकारी वेबसाइटों/पोर्टल पर विज्ञापन हेतु इन दरों पर विज्ञापन दिया जा सकता है।

2.22 **विज्ञापन के लिए सम्बन्धित वेब मीडिया की ब्लैकलिस्टिंगः** विभाग द्वारा सूचीबद्ध वेब माध्यमों को निम्नलिखित कारणों के आधार पर भविष्य में कोई भी विज्ञापन न देने हेतु ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा।

2.23(क) सम्बंधित वेब मीडिया की न्यूनतम हिट्स या सशुल्क ग्राहकी विवरण विभागीय जांच द्वारा गलत प्रमाणित होने पर।

2.23(ख) सम्बंधित वेब मीडिया के स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक/सम्पादक के अनैतिक, देशद्रोही, आतंकवादी एवं समाज विरोधी अपराध (मारल टर्पीट्यूड) का दोषी सिद्ध किए जाने पर।

2.23(ग) सम्बंधित वेब मीडिया के संबंध में यह प्रमाणित होने पर कि उसने गलत तथ्य प्रस्तुत करके कोई भी विज्ञापन प्राप्त किया है।

2.23(घ) सम्बंधित वेब माध्यम की साईट/पोर्टल बंद होने, उसका डोमेन रद्द होने या नवीनीकरण ना होने अथवा सर्वर लगातार दो दिन तक डाउन रहने अथवा प्रतिदिन 90 प्रतिशत से अधिक सर्वर बंद रहने पर भी वेब मीडिया को निष्क्रिय माना जाएगा।

2.24 उपरोक्त वर्णित तथ्य/कारण संज्ञान में आने पर निदेशक, सूचना द्वारा जांच करायी जायेगी तथा जांच में तथ्यों की पुष्टि होने पर संबंधित वेब माध्यम के स्वत्वाधिकारी/प्रकाशक/मुद्रक अथवा सम्पादक को नोटिस देते हुये उनका स्पष्टीकरण प्राप्त करके उस पर विचार करते हुये ब्लैक लिस्टिंग के आदेश पारित किये जायेंगे।

3– सूचीबद्धता–

वेब माध्यमों की सूचीबद्धता के लिए मापदण्ड की प्रक्रिया, वेबसाइट के कम से कम एक साल तक निरंतर सक्रियता के उपरान्त ही, आरम्भ की जायेगी ।

3.1 इस सूचीबद्धता हेतु सम्बंधित संस्थान को निर्धारित प्रारुप पर आवेदन करना होगा, जिसके साथ सम्बंधित वेब माध्यम के पंजीयन, सशुल्क ग्राहकी तथा हिट्स आदि का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

3.2 वेब विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध वेब मीडिया को हिट्स तथा सशुल्क ग्राहकी के आधार पर उपरोक्तानुसार राष्ट्रीय, राज्य अथवा स्थानीय वेब मीडिया श्रेणी में सूचीबद्ध किया जाएगा।

3.3 सूचीबद्धता हेतु वेब मीडिया की श्रेणियाँ संस्था के टर्न ओवर के आधार पर निर्धारित ना होकर वेबसाइट के हिट्स अर्थात लोकप्रियता की कसौटी के आधार पर निर्धारित की जायेगी। इस सम्बन्ध में यह प्रतिबन्ध रहेगा कि यदि

किसी पोर्टल या वेब साईट को डी.ए.वी.पी. से सूचीबद्धता प्राप्त है तो उसे सीधे ही उसी श्रेणी में सूचीबद्ध कर दिया जाएगा जब तक कि उसके मासिक हिट्स की संख्या के आधार पर नया मूल्यांकन ना किया जाए।

4. भविष्य में यथावाश्यकता प्रदेश की प्रश्नगत वेब नीति में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए मा0 मुख्यमंत्री जी अधिकृत होंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नवनीत सहगल)
प्रमुख सचिव

संख्याः– 05 /2016/4320(1)/उन्नीस–2–2016–22/2015 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 शासन।
4. वित्त व्यय (नियंत्रण) अनुभाग–7।
5. आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2।
6. न्याय अनुभाग–6।
7. उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. सूचना अनुभाग–1 एवं 2।
9. गोपन अनुभाग–1।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
विशेष कार्याधिकारी